संख्या- 1/2017/126/52-4-2017-1(आ0/बजट)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस गर्ग**,**

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण् एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2017

विषय- उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-828/अ0स0आ0/17-47वि0/16, दिनांक 30.03.2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-404/दस-2017-231/2017,दिनांक 20.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 अनुदान संख्या 48 के आयोजनेतर पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 22,00,000/- (रूपये बाइस लाख मात्र) तथा 31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" मद में 1,56,51,000/- (रूपये एक करोड छप्पन लाख इक्यावन हजार मात्र) प्रावधानित कुल धनराशि रू0 1,78,51,000/-(रूपये एक करोड अठहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र) में पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के लिये धनराशि रू0 74,37,916/-(रूपये चौहत्तर लाख सैतीस हजार नौ सौ सोलह मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) धनराशियों का प्रवेशंन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग "नई मदों/सेवाओं" पर व्यय के लिए न किया जाय।

(3) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बध में शासनादेश संख्या:-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चिश्त किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेषरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने मे उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस आफॅ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी0एम0-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2 उपरोक्त् मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-48 के लेखार्शीषक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेतर-105-विशेष जॉच आयोग-04-अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मोनिका एस गर्ग **)**
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in